कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

पत्रांक : मान्यता/ 11986-88 /2017-18 दिनांक 28.02 2018

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,

लांयस पब्लिक स्कूल गदरपुर

ऊधम सिह नगर।

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उप नियम-(6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय को किये गये संस्तुति/निरीक्षण एवं जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28/02/2018 के आलोक में आपके विद्यालय **लांयस पब्लिक स्कूल गदरपुर, ऊधम सिह नगर,** को कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 2017-18 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए (अंग्रेजी माध्यम) छात्र हित में इन प्रतिबन्धों के साथ समय वृद्धि प्रदान की जाती है कि वे अधिकतम छः माह के भीतर मानक एवं मानदण्डों/शर्तो को पूर्ण कर लेंगे।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी –

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 तथा निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निः शुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता तक प्रदान करेगा ।
4. उपरोक्त कम संख्या-3 में वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक के खाते का संचालन करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे:- :

एक- किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

तीन- किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

1- कक्षों, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे०पी० जोशी)
अनु सचिव।

संख्या: 47(1)/माध्यमिक/2002 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, उधम सिंह नगर।
4- प्रबन्धक, लायंन्स पब्लिक स्कूल, गदरपुर, उधम सिंह नगर।
5- अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अनु सचिव।